फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

एडडलवाईज एसेट रिकन्शट्रक्शन कं॰ लि॰ बनाम मैसर्स बंसल ज्वलर्स व अन्य

प्रकरण संख्या : 761/2022 (प्रा॰ पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में धारा 13 (2) के नोटिस की ए॰डी॰ या ट्रेंकिंग रिपोर्ट या नोटिस प्रकाशित दो अखबार की प्रति पेश नहीं की गई है। रजिस्ट्री की रसीद पेश की गई है वह भी अपठनीय है। दिनांक 20.12.2022 का शपथ पत्र अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है, सक्षम प्राधिकारी का नहीं है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ती नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	